



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233478
CG-DL-E-16022022-233478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]
No. 664]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का. आ. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2319(अ) तारीख 14.06.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH - 166 के कि.मी. 182.556 से कि.मी. 224.000 (सांगली - सोलापूर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन को शोल्डर के साथ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.07.2021" को "दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया" (अंग्रेजी) और "दैनिक पुढारी" (मराठी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-166 के (सांगली - सोलापूर सेक्शन) के कि.मी. 182.556 से कि.मी. 224.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कवठेमहांकल				
	गांव का नाम: देशिंग				
1	276/1 Part	निजी	कृषिक	0.21	जॉलीबाई लि. देशिंग करिता कार्यसंचालक, मंगल शामराम पाटील, अरविंद कुमार ज्वाली, शिवाजी रामचंद्र पोळ, प्रकाश जगन्नाथ माने, दिलीप जगन्नाथ माने, सुवर्णा ऊर्फ करुणा कृष्णराम शिंदे, दिग्वीजय कृष्णराव शिंदे, दयासागर कृष्णराव शिंदे, विमल केशवराव भोसले ()
	तालुक का नाम: मिरज				
	गांव का नाम: कलम्बी				
1	420/1B Part	निजी	अकृषिक	0.1875	मधूमती मनोजकुमार खेराडकर ()
2	501 Part	निजी	कृषिक	0.08	दादासो नरसगोंडा पाटील ()
3	503 Part	निजी	कृषिक	0.0175	श्रीमती गुणवंती बाबगोंडा बाळगोंडा पाटील, तगाधे कळंबी विकास सोसायटी. ()
4	504 Part	निजी	कृषिक	0.004	शुभम जनगोंडा पाटील ()
5	511 Part	निजी	कृषिक	0.0745	कलावती दादासो पाटील, माणिक शंकर शिंदे ()
6	521 Part	निजी	कृषिक	0.0095	कुसम चौगोंडा पाटील, सुशीला बाळगोंडा पाटील, उज्वला शिवगोंडा पाटील, बाळाबाई बापू मालगावे, अक्षय

					अरुण पाटील, वंदना जनगोंडा पाटील, अजित जनगोंडा पाटील. (५२१/अ)
	गांव का नाम: मालगाँव				
7	2396 Part	निजी	कृषिक	0.232	अशोक रामचंद्र कोळसे ()
8	2438 Part	निजी	कृषिक	0.0536	गजानन कृष्णाजी पवार, उज्वला गजानन पवार ()
9	2443 Part	निजी	कृषिक	0.02	गजानन कृष्णाजी पवार, उज्वला गजानन पवार ()
10	2444 Part	निजी	कृषिक	0.0161	गजानन कृष्णाजी पवार, उज्वला गजानन पवार ()
11	2457 Part	निजी	कृषिक	0.0625	सुभाष शिवा बंडगर, विश्वासराव शामराव पाटील, इंद्रजित विश्वासराव पाटील, सत्यजित विश्वासराव पाटील ()
12	2458 Part	निजी	कृषिक	0.03	ललिता गोपिचंद कदम ()
			कुल	0.9972	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 683(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2319(E) Dated 14.06.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Two-lanning to four-lanning with shoulders, etc.), maintenance, management and operation of NH-166 on the stretch of land from Km. 182.556 to Km. 224.000 (Sangli-Solapur Section) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” (English) and “Daily Pudhari” (Marathi) both dated 24.07.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 182.556 to Km. 224.000 (Sangli - Solapur Section) of NH - 166 in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: SANGLI			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kavathemahankal				
	Village: Deshing				
1	276/1 Part	Private	Agricultural	0.21	Jollybard Ltd. Director for Deshing, Mangal Shamram Patil, Arvind Kumar Jwali, Shivaji Ramchandra Pol, Prakash Jagannath Mane, Dilip Jagannath Mane, Suvarna alias Karuna Krishnaram Shinde, Digvijay Krishnarao Shinde, Dayasagar Krishnarao Shinde, Vimal Keshavrao Bhosale
	Taluk: Miraj				
	Village: Kalambi				
1	420/1B Part	Private	Non-Agricultural	0.1875	Madhumati Manojkumar Kheradkar
2	501 Part	Private	Agricultural	0.08	Dadaso Narasgonda Patil
3	503 Part	Private	Agricultural	0.0175	Shimati Gunvanti Babgonda Balgonda Patil, Tagaghe Kalambi Vikas Society.
4	504 Part	Private	Agricultural	0.004	Shubham Jangonda Patil
5	511 Part	Private	Agricultural	0.0745	Kalawati Dadaso Patil, Manik Shankar Shinde
6	521 Part	Private	Agricultural	0.0095	Kusam Chougonda Patil, Sushila Balgonda Patil, Ujvala Shivgonda Patil, Balabai Babu Malgave, Akshay Arun Patil, Vandana Jangonda Patil, Ajit Jangonda Patil. 521/A
	Village: Malgaon				
7	2396 Part	Private	Agricultural	0.232	Ashok Ramchandra Kolase
8	2438 Part	Private	Agricultural	0.0536	Gajanan Krishnaji Pawar, Ujwala Gajanan Pawar
9	2443 Part	Private	Agricultural	0.02	Gajanan Krishnaji Pawar, Ujwala Gajanan Pawar
10	2444 Part	Private	Agricultural	0.0161	Gajanan Krishnaji Pawar, Ujwala Gajanan Pawar
11	2457 Part	Private	Agricultural	0.0625	Subhash Shiva Bandagar, Vishwasrao Shamrao Patil, Inderjit Vishwasrao Patil, Satyajit Vishwasrao Patil
12	2458 Part	Private	Agricultural	0.03	Lalita Gopichand Kadam
			TOTAL	0.9972	

[F. No. NHA/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3D]

RAJESH GUPTA, Director